राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या–6/2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

दायर दिनांकः–2.3.2021

1. बनवारी पुत्र मिश्री जाति गवारिया नि0 बकरवालिया, तहसील रूपनगढ़

प्रार्थी

बनाम

1. प्रभु पुत्र रामकरण जाति बावरी नि0 भदूण, तहसील रूपनगढ़
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 28.3.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 930/152 रकबा 0.1618 है0 भूमि ग्राम भदूण पटवार हल्का भदूण तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 930/152 में जाने के लिए रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ग्राम भदूण के ख0न0 684/152 रकबा 2.9124 है0 में से उतरी दिशा की सींव मेड के सहारे –सहारे प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थी की कृषि में पहुंच हेतु निकटतम सरल रास्ता उपलब्ध होना आवश्यक है, जो अप्रार्थी के ख0न0 684/152 की कृषि आराजी की उतरी सींव मेड के सहारे –सहारे होते हुए उससे आगे लगता हुआ रिकार्डेड रास्ता खसरा नम्बर 146 को जोड़ता है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 930/152 के पूर्व दिशा में लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 684/152 है उससे आगे रिकार्डेड रास्ते खसरा नम्बर 146 के लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि आराजी खसरा नम्बर 684/152 है तथा प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 930/152 की पूर्व दिशा की सीमा सींव मेड के सहारे–सहारे 20 फीट चोड़ा रास्ता मुख्य रिकार्डेड रास्ता खसरा नम्बर 146 तक चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि की सींव मेड से लगता हुआ वर्णित रास्ता प्राप्त होने पर प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि में जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते से होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के ख0न0 684/152 की सींव मेड के सहारे होते हुए अपने खेत तक आ जा सकते है, जो सुगम सुलभ निकटतम रास्ता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0न0 930/152 के चारो दिशाओं में निजी खातेदारों की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी की भूमि ख0न0 930/152 में पहुंचने के लिए प्रार्थी के पास अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि ख0न0 684/152 में से प्राप्त करने वाले रास्ते को इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित ए से बी भाग दर्शित किया गया है। नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र का एक अंग व भाग माना जाकर इसके साथ पढ़ा जावे तथा यह खसरा नम्बर 146 रिकार्डेड रास्ता में जाकर मिलता है। प्रार्थी इस रास्ते से अर्से दराज से गाड़ी, ट्रेक्टर–ट्रोली, कृषि यंत्र, चारा उपज आदि अपने खेत में लाता ले जाता है प्रार्थी के पास यही एक मात्र लघुतम व निकटतम रास्ता है जो प्रार्थी के खेत ख0न0 930/152 से शुरू होकर अप्रार्थी संख्या 1 के ख0न0 684/152 के खातेदारी में होता हुआ ग्राम भदूण के रिकार्डेड रास्ते ख0न0 146 तक पहुंच जाता है। रास्ते की चौड़ाई 20 फीट काश्त करने के लिए वर्तमान मशीनी युग में कृषि काश्त हेतु मशीनी उपकरण लाने ले जाने के लिए व कृषि उपज उपज लाने, ले जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की ख0न0 684/152 में 20 फीट चौड़ाई का रास्ता आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 आये दिन प्रार्थी के रास्ते के आवागमन में बाधा उत्पन्न करता है। अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] परिवारजन ने दिनांक 28.2.2020 को प्रार्थी को रास्ते से आने जाने में बाधा उत्पन्न की [illegible] प्रा[illegible] को धमकी दी कि वे अब रास्ता हमेशा के लिए बंद करके प्रार्थी का आवागमन हमेशा बंद रहेगा [illegible] प्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी की कृषि भूमि ख0न0 930/152 तक पहुंचने वाले रास्ते को बंद करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के तहत किसी भी काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पड़ोसी काश्तकार से रास्ते की मांग कर कायम करवा सकता है। प्रार्थी को विधि द्वारा रास्ते का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.04.22 14:07:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 2 (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार प्रार्थी ने ग्राम भदूण के ख0न0 684/152 की उत्तरी मेंड़ के सहारे सहारे 20 फीट चौड़े रास्ते की मांग की है, जो लघुतम रास्ता है। उक्त रास्ते में आने वाली भूमि का रकबा 0.0450 है0 बनता है जिसकी डी0एल0सी दर रूपये 121094/–प्रति हैक्टेयर के हिसाब से भूमि की कीमत 5449.23 रू बनती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन एवं बहस अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भदूण के ख0न0 930/152 में आवागमन हेतु ख0न0 684/152 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का रकबा 0.0450 है0 होता है, जिसकी डी0एल0सी0 दर 121094/–प्रति हैक्टेयर के हिसाब से भूमि की कीमत 5449.23 रू बनती है, जिसकी दुगुनी राशि 10898/– रूपये अक्षरे– दस हजार आठ सौ अठानवें रूपये मात्र बनती है। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान हो। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार रूपनगढ़ को राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया

28/3/2022

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.04.22 14:07:05 IST
Reason: SelfAttested